

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA

2016

RK 422661

24/5/16
2-8-2016
हस्ताक्षर

सुरक्षित भव फाउंडेशन
रायपुर
कॉन्ट्रोलिंग
रायपुर



अनुबंध विनोद एस. साऊरकर
मुद्रांक विभाग

यह अनुबंध आज दिनांक 02/06/2016 को पुलिस आयुक्त, अमरावती शहर प्रथम पक्षकार तथा चेयरमैन सुरक्षित भव फाउंडेशन रायपुर द्वितीय पक्षकार के मध्य शहरके प्रमुख चौक/चौराहो पर जिंगल सिस्टम स्थापना एवं प्रसारण कार्य करणे हेतु निष्पादित किया गया। द्वितीय पक्षकार चेयरमैन सुरक्षित भव फाउंडेशन रायपुर को अनुबंध दिनांक से 10 वर्षातक समस्त शत एवं नियम मान्य होंगे। जिंगल प्रसारण के लिये काम के समस्त उपकरण (सिस्टम) पर आने वाले खर्च का बहन द्वितीय पक्षकार के द्वारा किया जायेगा।

स्थल परिवर्तन के स्थिति मे पुलिस आयुक्त, अमरावती शहर द्वारा द्वितीय पक्षकार की सहमती से नगर निगम क्षेत्र के किसी अन्य सिग्नल एवं स्थल पर जिंगल सिस्टम को लगानेकी अनुमती दी जायेगी।

प्रथम पक्षकार

(Signature)

पॉलीस निरीक्षक

महान् सुरक्षित भव, अमरावती

गृहाह का नाम Jalaj Shumoo

हस्ताक्षर

(Signature)

ACP NEW 2016



द्वितीय पक्षकार

(Signature)

चेयरमैन सुरक्षित भव फाउंडेशन
रायपुर

ISO-9001:2015 CERTIFIED



ISO-9001:2015 CERTIFIED



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

L 009917

—:: अनुबंध ::—


यह अनुबंध आज दिनांक 13/11/18 को आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग प्रथम पक्षकार तथा चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक, सुरक्षित भव: फाउण्डेशन, रायपुर C/O बीयांड रीच द्वितीय पक्षकार के मध्य शहर के प्रमुख चौक/चौराहो पर जिंगल सिस्टम स्थापना एवं प्रसारण कार्य करने हेतु निष्पादित किया गया। द्वितीय पक्षकार चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक, सुरक्षित भव: फाउण्डेशन, रायपुर को संलग्न शर्तें व नियम की कंडिका क्रं.01 से 14 तक मान्य होगा। तदनुसार नवीनीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जावेगा। जिंगल प्रसारण के लिए काम आने वाले समस्त उपकरण (सिस्टम) पर आने वाले व्यय का वहन द्वितीय पक्षकार के द्वारा किया जावेगा, नगर पालिक निगम, दुर्ग पक्षकार क्रं.01 के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जावेगा।

स्थल परिवर्तन की स्थिति में नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा द्वितीय पक्षकार की सहमति निगम क्षेत्र के किसी अन्य सिग्नल लगे चौक/तिराहा पर जिंगल सिस्टम लगाने की अनुमति दी जावेगी।

गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर :-


1-

2-


अध्यक्ष
नगर पालिक निगम, दुर्ग

ISO-9001:2015 CERTIFIED


अध्यक्ष
नगर पालिक निगम, दुर्ग


(कार्यपालन संचालक, सुरक्षित भव:
फाउण्डेशन, रायपुर C/O बीयांड रीच)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923

Email : - nraigarh@ymail.com website - www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक / वि.वि. / न.पा.नि. / 2019

रायगढ़, दिनांक

—:: अनुमति / अनापत्ति पत्र ::—

प्रति,

कार्यपालन संचालक,
सुरक्षित भव: फाउण्डेशन,
c/o आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड
वेलफेयर सोसायटी रायपुर (छ.ग.)



विषय :- पी.पी.पी. तर्ज पर रायगढ़ शहर में जिंगल एवं स्पीकर्स द्वारा जन जागरूकता अभियान हेतु अनुमति / अनापत्ति

ISO-9001:2015 CERTIFIED

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 05.03.2019 ,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा शहर के मध्य चौक / चौराहों पर जन जागरण अभियान एवं यातायात नियमों से संबंधित जिंगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक सुरक्षित भव: फाउण्डेशन c/o आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपुर c/o बीयांड रीच के साथ अनुबंध क्रमांक V 371834 / V 371835 दिनांक 07.03.2019 संपादित किया गया है।

अनुबंध अनुसार उपरोक्त संस्था को नगर पालिक निगम एवं यातायात व्यवस्था से संबंधित जिंगल जनहित में प्रसारित करने के साथ साथ विज्ञापन प्रसारण हेतु 10 वर्षों में से प्रथम वर्ष के लिए प्रथम चरण में 6 (छः) चौक चौराहों पर वाटर प्रुफ स्पीकर द्वारा जिंगल बजाने की अनुमति / अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। तथा किसी भी प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उलघ्न न हों।

चौराहों की सूची:- 01 जमुनाइन चौक 02 चक्रधरनगर चौक 03 कोतवाली चौक
04 कमला नेहरू पार्क 05 केवड़ा बाड़ी बस स्टेशन चौक 06 सारंगढ़ बस स्टेशन चौक

ISO-9001:2015 CERTIFIED



Scanned with
CamScanner

आयुक्त 8/3/19
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी (छ०ग०)

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

कमांक / /आयुक्त/राजस्व/2014/ 49

धमतरी दिनांक 31/10/2014



एतद् द्वारा चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सैफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसाईटी रायपुर को अवधि दिनांक 01.11.2014 से 31.10.2019 तक अवधि के लिए आम जनता की सुरक्षा हेतु यातायात नियमों, पानी की बचत, विद्युत की बचत, राज्य की महिला नीति, चिकित्सा के प्रति जागरूकता, बाल श्रम, प्रदूषण, एड्स के प्रति जागरूकता एवं शासकीय विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कम्प्युटरीकृत सिस्टम वाटर प्रुफ स्पीकर के माध्यम से जिंगल साफ्टवेयर के द्वारा जन जागरण हेतु मुख्य चौराहों यथा सिहावा चौक, मकई चौक, बस स्टैण्ड परिसर, रत्नाबांधा चौक, अम्बेडकर चौक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र स्थापना हेतु अनुबंध पत्र में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

आयुक्त

नगर पालिक निगम धमतरी

पृ. कमांक / /आयुक्त/राजस्व/2014/ 50
प्रतिलिपि :-

धमतरी दिनांक 31/10/2014

01. कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)।
02. पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला - धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नगर पालिक निगम धमतरी की ओर सूचनार्थ।
04. थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली धमतरी/यातायात प्रभारी धमतरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
05. राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम धमतरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।



ISO-9001:2015 CERTIFIED


आयुक्त

नगर पालिक निगम धमतरी

॥ कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ॥

—: कार्यादेश :—

कमांक / ॥ / लो०क०वि० / 2018
प्रति,



कार्यपालन संचालक,
सुरक्षित भव: फाउण्डेशन (IPSWS),
जयराम कॉम्प्लेक्स, रायपुर


विषय :- पी०पी०पी० तर्ज पर दुर्ग शहर में जिंगल एवं स्पीकर्स द्वारा जन जागरूकता अभियान हेतु कार्यादेश ।

संदर्भ :- अनुबंध दिनांक 17.04.2018.

—00—

उपरोक्त अनुबंध दिनांक 17.04.2018 अनुसार आपको प्रथम चरण में निम्नानुसार स्थानों में जिंगलस एवं स्पीकर्स स्थापित किये जाने तथा रखरखाव हेतु आगामी 10 वर्षों के लिए कार्यादेश प्रदान की जाती है ।

कमांक	स्थान का नाम
01.	पटेल चौक, दुर्ग
02.	राजेन्द्र पार्क चौक, दुर्ग
03.	मालवीय नगर चौक, दुर्ग
04.	ग्रीन चौक, दुर्ग
05.	पुलगांव चौक, दुर्ग



ISO-9001:2015 CERTIFIED

पृ०कमांक / / लो०क०वि० / 2018
प्रतिलिनि :-

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक / / 2018

01. मा० महापौर महोदया, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
02. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. कु० अपर्णा शेलार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—: कार्यादेश :—

क्रमांक / ।। / लो०क०वि० / 2018
प्रति,

कार्यपालन संचालक,
सुरक्षित भव: फाउण्डेशन (IPSWS),
जयराम कॉम्प्लेक्स, रायपुर



२० / ४ / 2018

विषय :- पी०पी०पी० तर्ज पर दुर्ग शहर में जिंगल एवं स्पीकर्स **ISO-9001:2015 CERTIFIED** अभियान हेतु कार्यादेश ।

संदर्भ :- अनुबंध दिनांक 17.04.2018.

—00—

उपरोक्त अनुबंध दिनांक 17.04.2018 अनुसार आपको प्रथम चरण में निम्नानुसार स्थानों में जिंगलस एवं स्पीकर्स स्थापित किये जाने तथा रखरखाव हेतु आगामी 10 वर्षों के लिए कार्यादेश प्रदान की जाती है ।

क्रमांक	स्थान का नाम
01.	पटेल चौक, दुर्ग
02.	राजेन्द्र पार्क चौक, दुर्ग
03.	मालवीय नगर चौक, दुर्ग
04.	ग्रीन चौक, दुर्ग
05.	पुलगांव चौक, दुर्ग





ISO-9001:2015 CERTIFIED

पृ०क्रमांक / / लो०क०वि० / 2018

प्रतिलिनि :-

01. मा० महापौर महोदया, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
02. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. कु० अपर्णा शेलार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक / / 2018



कार्यालय नगर निगम, करनाल।

क्रमांक...6227.....न0नि0क0

दिनांक...15-9-15

सेवा में

आईडियल पब्लिक सेप्टी एण्ड वैलफेयर सोसायटी,
कार्यालय: 98, जयराम कॉम्प्लैक्स, रायपुर,
छत्तीसगढ़।

फोन न. 91-771-4031112.

Web site: www.ipsws.com, e-mail: ipsws0771@gmail.com

विषय:

पी.पी.पी. तर्ज पर शहर करनाल में जिंगल एवं स्पीकर्स के द्वारा जन जागरूकता अभियान हे प्रस्ताव।




ISO-9001:2015 CERTIFIED

उपरोक्त विषय पर आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2015 के संदर्भ में।

आयुक्त महोदया, नगर निगम, करनाल ने अपने आदेश दिनांक 01.09.2015 द्वारा आपकी संस द्वारा पी.पी.पी. तर्ज पर शहर करनाल में जिंगल एवं स्पीकर्स के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार कर लिया गया है:-

1. इस सिस्टम पर जो भी खर्च आएगा वह सभी आपकी संस्था द्वारा वहन किया जाएगा व इस कार्या द्वारा इस सिस्टम के लिए कोई राशि या अनुदान नहीं दिया जाएगा।
2. आपकी संस्था को अभी केवल 2 वर्ष के लिए जिसका दो वर्षों के बाद पाँच वर्षों तक नवीकरण किया सकता है शहर में सात चौकों पर जिनमें सब्जी मण्डी चौक, कमेटी चौक, रामनगर चार खम्बा चौक सिविल हस्पताल चौक, Govt. Collage चौक सैक्टर-6, निर्मल कुटिया चौक सैक्टर-12, आई.टी.आ चौक व नगर निगम, करनाल कार्यालय में सरकार/सक्षम न्यायलय द्वारा जारी दिशा निर्देश में यदि जिंगल्स को लगाने की कोई पाबन्दी ना हो तो (जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी आपकी संस्था की होगी) लग जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. आपकी संस्था द्वारा समय-समय पर सरकार/सक्षम न्यायलय द्वारा जारी आदेशों व दिशा निर्देशों पालना तदानुसार करनी होगी। जिंगल्स को लगाने में ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि मात्रा हरियाणा प्रदू नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप होगी।
4. इस सिस्टम पर 50 प्रतिशत प्रायोजन (Sponsorship) सरकार/नगर निगम की कल्याणक नीतियों/उपलब्धियों के लिए किया जाएगा व 50 प्रतिशत प्रायोजन (Sponsorship) इस संस्था स्पोंसर करने वाली कम्पनियों के लिए किया जाएगा। जिसकी ऐवज में आपकी संस्था द्वारा न निगम/सरकार से किसी प्रकार की कोई राशि चार्ज नहीं की जावेगी।
5. इस कार्यालय को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त सभी सिस्टम को कभी भी चैक कर सकता है। आपकी संस्था को किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो नगर निगम, करनाल कार्यालय अधिकार होगा कि आपकी संस्था को नोटिस देने उपरांत दी गई स्वीकृति को रद्द कर सकता है।
6. उक्त कार्य हेतु मूलभूत संरचना (Infrastructure) के स्थापन के लिए नगर निगम के अतिरिक्त यदि वि अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होगी तो वह लेने की जिम्मेवारी आपकी सं की होगी।
7. आपकी संस्था को उपरोक्त चौकों पर स्वीकृति की सभी नियम व शर्तों (Terms & Conditions) बारे इस कार्यालय के साथ इकरारनामा करना होगा।



TRUE-COPY

Smt. KIRAN TIWARI
Notary & Advocate,
KARNALI (C.G.) INDIA

कार्यालय नगर निगम, करनाल।

क्रमांक 6231 / न0नि0क0


दिनांक 15.09.2015

अनुमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि आईडियल पब्लिक सेपटी एण्ड वेलफेयर सोसायटी (पिन जी.ओ) C/o बीयांड रेव, 98, प्रथम तल, जयराम कॉम्प्लेक्स, रायपुर को दो वर्षों के लिए भविष्य में नवीनीकरण योग्य यातायात जिंगल सिस्टम पर नगर निगम, करनाल एवं यातायात विभाग से सम्बन्धित जिंगल्स जनहित में प्रसारित करने के साथ-साथ विज्ञापन प्रसारण हेतु प्रथम चरण में सात चौक/चौराहों को वॉटरप्रूफ स्पीकर्स द्वारा जिंगल्स प्रसारण हेतु अनुबन्ध क्रमांक 6230 दिनांक 15.09.2015 को किया गया है। इस पर नगर निगम, करनाल को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

15/09/15
कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, करनाल।



TRUE-COPY

Smt. KIRAN TIWARI
Notary / Advocate,
RAIPUR, (C.G.) INDIA



2 FEB 2019



कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग)

विकास भवन नेहरू चौक के पास, बिलासपुर
फोन नं. 07752.222642 ए फेक्स नं.07752.413888

ई-esy-commissionerbilaspur@yahoo.com वेबसाइट-www.bmcbilaspur.com

—: अनुमति पत्रक/अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

क. 2014 / न.पा.नि. / वि.वि. / 2014-15

बिलासपुर, दिनांक 12 / 2 / 2015

प्रति,

कार्यापालन संचालक
आइडियल पब्लिक सेपटी एण्ड
वेलफेयर सोसायटी
रायपुर (छ.ग.)



ISO-9001:2015 CERTIFIED

विषय :- पी.पी.पी तर्ज पर बिलासपुर शहर में जिंगल एवं स्पीक्स द्वारा जन जागरूगता अभियान हेतु अनुमति/अनापत्ति बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक आई. पी.एस. एण्ड डब्लु एस./003 दिनांक 25/01/2015

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा शहर के मध्य चौक/चौराहों पर जन जागरण अभियान एवं यातायात नियमों से संबंधित जिंगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सेपटी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपुर e/o वीयांड रीच के साथ अनुबंध क्र. 8, दिनांक 11/02/2015 संपादित किया गया है।

अनुबंध अनुसार उपरोक्त संस्था को नगर निगम एवं यातायात व्यवस्था से संबंधित जिंगल जनहित में प्रसारित करने के साथ -2 विज्ञापन प्रसारण हेतु 10 वर्षों के लिए प्रथम चरण में प्रांथ (5) चौक-चौराहों पर वाटर प्रूफ स्पीकर द्वारा जिंगल बजाने की अनुमति/अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। तथा किसी भी प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उलघन न हों।

चौराहों की सूची :-

- | | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 01 नेहरू चौक | 02 अग्रसेन चौक | 03 कोतवाली चौक |
| 04 मंगला चौक | 04 सत्यम चौक | |



ISO-9001:2015 CERTIFIED

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL


छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

यह अनुबंध आज दिनांक 27/09/17 को आयुक्त नगर निगम पालिका 503445 राजनांदगांव प्रथम पक्षकार तथा द्वितीय पक्षकार कार्यपालन संचालक, सुरक्षित भव: फाउण्डेशन रायपुर C/O (I.P.S.W.S) के मध्य, शहर के प्रमुख चौक / चौराहों पर जिंगल सिस्टम स्थापना एवं प्रसारण कार्य करने हेतु निष्पादित किया गया। द्वितीय पक्षकार चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक, सुरक्षित भव: फाउण्डेशन, जयराम काम्पलेक्स, रायपुर को अनुबंध दिनांक से 10 वर्षों तक समस्त नियम व शर्तें मान्य होगा, तदनुसार नवीनीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जावेगा। जिंगल प्रसारण के लिए काम आने वाले समस्त उपकरण (सिस्टम) पर आने वाले व्यय का वहन द्वितीय पक्षकार सुरक्षित भव: फाउण्डेशन, रायपुर के द्वारा किया जावेगा। नगर पालिका निगम, राजनांदगांव पक्षकार कमांक 01 के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय एवं संचालन नहीं किया जावेगा।

जिंगल में प्रमुखता से स्वच्छ भारत अभियान, यातायात व्यवस्था में लीथीन पर प्रतिबंध, हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण, नगर निगम के कर अदायगी को प्रोत्साहित करने संबंधी, बालिकाओं के शिक्षा एवं सुरक्षा एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रसारण मुख्य उद्देश्य होगा, व्यय की प्रतिपूर्ति में अन्य विज्ञापन का प्रसारण मान्य होगा।

स्थल परिवर्तन की स्थिति में निगम द्वारा द्वितीय पक्ष की सहमति से नगर निगम क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर भी चौक / चौराहों पर जिंगल सिस्टम लगाने की अनुमति दी जावेगी।

1. *Bhagpat* 9981893
2. *Surf* 7611144480
प्रथम पक्षकार



TRUE COPY 2015 CERTIFIED

Smt. KIRAN TIWARI
Notary / Advocate,
RAIPUR (C.G.) INDIA

2 FEB 2019





कार्यालय नगर निगम, करनाल।

क्रमांक 6931/...../न0नि0क0

दिनांक 15.09.2015

अनुमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आईडियल पब्लिक सेप्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी (एन.जी.ओ) C/o वीयांड रोड, 98, प्रथम तल, जयराम कॉम्प्लेक्स, रायपुर को दो वर्षों के लिए भविष्य में नवीनीकरण योग्य यातायात जंगल सिस्टम पर नगर निगम, करनाल एवं यातायात विभाग से सम्बन्धित जिंगल्स जनहित में प्रसारित करने के साथ-साथ विज्ञापन प्रसारण हेतु प्रथम चरण में सात चौक/चौराहों को वॉटरप्रूफ स्पीकर्स द्वारा जिंगल्स प्रसारण सू अनुबन्ध क्रमांक 6930 दिनांक 15.09.2015 को किया गया है। इस पर नगर निगम, करनाल को किसी कार की कोई आपत्ति नहीं है।



TRUE-COPY

Smt. KIRAN TIWARI 2015 CERTIFIED
Notary / Advocate,
RAIPUR. (C.G.) INDIA

2 FEB 2019

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON-JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

F 600144

क्रमांक 6930 / न.निक. / 2015

दिनांक 15.09.2015

अनुबन्ध

ISO-9001:2015 CERTIFIED


यह अनुबन्ध आज दिनांक 15.09.2015 को कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, करनाल, प्रथम पक्षकार तथा आईडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी (एन.जी.ओ) C/o बीयांड रीच, 98, प्रथम तल, जयराज कॉम्प्लेक्स, रायपुर, द्वितीय पक्षकार के मध्य प्रथम चरण में शहर करनाल के प्रमुख सात चौक/चौराहों पर जिंगल सिस्टम स्थापना एवं प्रसारण कार्य करने हेतु दो वर्ष के लिए भविष्य में नवीनीकरण योग्य के साथ निष्पादित किया गया। द्वितीय पक्षकार आईडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी (एन.जी.ओ) को समस्त स्वीकृति पत्र में लगाए गए सभी नियम व शर्तें मानने होंगे। यह स्वीकृति प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को दी गई है। इस इकरारनामे के दोनों पक्ष पाबन्ध रहेंगे। स्थल परिवर्तन में नगर निगम द्वारा द्वितीय पक्षकार की सहमति नगर निगम क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर जिंगल सिस्टम लगाने की अनुमति दी जावेगी, किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में प्रथम पक्षकार का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

यह अनुबन्ध पी.पी.पी. के आधार पर निष्पादित किया गया है जिसमें प्रसारण के साथ-साथ विज्ञापन प्रसारण (प्रायोजन) हेतु स्वीकृति पत्र में लगाई गई सभी शर्तों पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को अनुमति दी जाती है।

प्रथम पक्षकार

कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, करनाल।

गवाह



द्वितीय पक्षकार
TRUE-COPY

आईडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी
Smt. KIRAN TIWARI, Notary (Advocate), RAIPUR (C.G.) INDIA



61

क्रमांक 11281



ISO-9001:2015 CERTIFIED

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL


छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

यह अनुबंध आज दिनांक 27/09/17 को आयुक्त नगर निगम पालिका 503445 राजनांदगांव प्रथम पक्षकार तथा द्वितीय पक्षकार कार्यपालन संचालक, सुरक्षित भवः फाउण्डेशन रायपुर C/O (I.P.S.W.S) के मध्य, शहर के प्रमुख चौक / चौराहों पर जिंगल सिस्टम स्थापना एवं प्रसारण कार्य करने हेतु निष्पादित किया गया। द्वितीय पक्षकार चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक, सुरक्षित भवः फाउण्डेशन, जयराम काम्पलेक्स, रायपुर को अनुबंध दिनांक से 10 वर्षों तक समस्त नियम व शर्तें मान्य होगा, तदनुसार नवीनीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जावेगा। जिंगल प्रसारण के लिए काम आने वाले समस्त उपकरण (सिस्टम) पर आने वाले व्यय का वहन द्वितीय पक्षकार सुरक्षित भवः फाउण्डेशन, रायपुर के द्वारा किया जावेगा। नगर पालिका निगम, राजनांदगांव पक्षकार कमांक 01 के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय एवं संचालन नहीं किया जावेगा।

जिंगल में प्रमुखता से स्वच्छ भारत अभियान, यातायात व्यवस्था, पोलिथीन पर प्रतिबंध, हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण, नगर निगम के कर अदायगी को प्रोत्साहित करने संबंधी, बालिकाओं के शिक्षा एवं सुरक्षा एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रसारण मुख्य उद्देश्य होगा, व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अन्य विज्ञापन का प्रसारण मान्य होगा।

स्थल परिवर्तन की स्थिति में निगम द्वारा द्वितीय पक्ष की सहमति से नगर निगम क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर भी कार्यवाही के लिए चौक / चौराहों पर जिंगल सिस्टम लगाने की अनुमति दी जावेगी।

गवाह के हस्ताक्षर दिनांक सहित
1. *Bhagpat* 9981893
2. *Surf* 761144480
प्रथम पक्षकार



Surf 27/09/17
Municipal Corporation
RAJNANDGAON

सुरक्षित भव फाउण्डेशन (चेयरमेन एवं कार्यपालन संचालक) सुरक्षित भव फाउण्डेशन
2 FEB 2019

कार्यालय ,नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छठगांव)

// अनुमति / अनापत्ति पत्र /
कमांक 1130 / लोक -11 / 2017-18
प्रति,

राजनांदगांव दिनांक 27/9/17



चेयरमेन एवं कार्यपालन संचालक,
सुरक्षित भवः फाउण्डेशन,
जयराम काम्पलेक्स, रायपुर

विषय:- पी.पी.पी. तर्ज पर राजनांदगांव शहर में जिंगल एवं स्पीकर्स द्वारा
जन जागरूकता अभियान हेतु अनुमति / अनापत्ति बाबत।
संदर्भ:- 1.आपका पत्र दिनांक 13/09/2017.09.27

-000-


विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा शहर के मध्य चौक / चौराहों पर जन-जागरण अभियान एवं यातायात नियमों से संबंधित जिंगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है, उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक, सुरक्षित भवः फाउण्डेशन, जयराम काम्पलेक्स, रायपुर के साथ दिनांक 27/09/2017 को संपादित किया गया।

अनुबंध अनुसार उपरोक्त संस्था द्वारा नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के स्वच्छता, यातायात व्यवस्था एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जिंगल जनहित में निःशुल्क प्रसारित करने के साथ-साथ विज्ञापन प्रसारण हेतु 10 वर्षों के लिए प्रथम चरण में 10 चौक चौराहों पर वाटर प्रूफ स्पीकर द्वारा जिंगल बजाने की अनुमति / अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि ध्वनि विस्तार यंत्रों की ध्वनि से किसी सामान्य नागरिकों के कार्यों के किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, तथा किसी प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन न हो। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

चौक चौराहों की सूची :-

1. भदौरिया चौक
2. महावीर चौक
3. पोष्ट आफिस चौक
4. भगत सिंह चौक
5. रामदरबार चौक
6. नंदई चौक
7. गंज चौक
8. महामाया चौक
9. मानव मंदिर चौक

10. जयसिंग चौक



TRUE-COPY

आयुक्त
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव
27/09/17

Smt. KIRAN TIWARI





कार्यालय नगर प

विकास भवन
फोन नं. 0775

ई-esy-commissionerbilasj

0214

—: अनुमति



ISO-9001:2015 CERTIFIED



कार्यालय

ई-esy-con

क. 2014 / न.पा.फि
प्रति,



ISO-9001:2015 CERTIFIED



ISO-9001:2015 CERTIFIED

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES




सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

TRUE-COPY

MAHARASHTRA

2015



PH 876120
Smt. KIRAN TIWARI
Notary / Advocate
RAIPUR. (C.G.) IN

2 FEB 2019

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक 02/11/2018 को पुलिस अधिक्षक अकोला प्रथम पक्षकार तथा चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सेफ्टी एन्ड वेलफेअर सोसायटी रायपूर C/O बीयांड रीच द्वितीय पक्षकार के मुख्य शहर के प्रमुख चौक/चौराहे पर जिगल सिस्टम स्थापना एवं प्रसारण कार्य करने हेतु निष्पादित किया गया। द्वितीय पक्षकार चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सेफ्टी एन्ड वेलफेअर सोसायटी रायपूर को अनुबंध दिनांक से 10 वर्षों तक समस्त शर्तें व नियम मान्य होगा। तदनुसार नविनीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जायेगा। जिगल प्रसारण के लिए काम आने वाले समस्त उपकरण (सिस्टम) पर आने वाले व्यय का वहन द्वितीय पक्षकार के द्वारा किया जायेगा।

स्थल परिवर्तन की स्थिति में पुलिस अधिक्षक अकोला द्वारा द्वितीय पक्षकार की सहमती से नगर निगम क्षेत्र के किसी अन्य सिग्नल एवं स्थल पर जिगल सिस्टम को लगाने की अनुमती दी जायेगी।

प्रथम पक्षकार

शहर वाहतुक शाखा, अकोला
पोलीस निरीक्षक

शहर वाहतुक शाखा, अकोला



द्वितीय पक्षकार

कार्यपालन संचालक

आइडियल पब्लिक सेफ्टी एन्ड वेलफेअर
सोसायटी रायपूर



ISO-9001:2015 CERTIFIED

Safety & Welfare Society

गवाह के नाम :- गणेश रामशिव पाटील

हस्ताक्षर :-

Chairman / Member

8378978377

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

हाराष्ट्र MAHARASHTRA

2016

RK 422661

28/5-2017
2-5-2017
हस्त-क्षरित पुस्तक
सुरक्षित भव फाउंडेशन
कोण्डशान
रायपुर




अनुबंध विनोद एस. साऊरकर

मुद्रांक विक्रेता

ISO-9001:2015 CERTIFIED

यह अनुबंध आज दिनांक 02/05/2017 को पुलिस आयुक्त, अमरावती शहर प्रथम पक्षकार तथा चेयरमेन सुरक्षित भव: फाउंडेशन रायपुर द्वितीय पक्षकार के मध्य शहरके प्रमुख चौक/चौराहो पर जिंगल सिस्टम स्थापना एवं प्रसारण कार्य करने हेतु निष्पादित किया गया। द्वितीय पक्षकार चेयरमेन सुरक्षित भव फाउंडेशन रायपुर को अनुबंध दिनांक से 10 वर्षातक समस्त शर्त एवं नियम मान्य होंगे। जिंगल प्रसारण के लिये काम के समस्त उपकरण (सिस्टम) पर आने वाले खर्च का वहन द्वितीय पक्षकार के द्वारा किया जायेगा।

स्थल परीवर्तन के स्थिति में पुलिस आयुक्त, अमरावती शहर द्वारा द्वितीय पक्षकार की सहमती से नगर निगम क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर जिंगल सिस्टम को लगानेकी अनुमती दी जायेगी।



TRUE-COPY

द्वितीय पक्षकार

प्रथम पक्षकार

पॉलीस निरीक्षक

शहर कृतुक शाखा, अमरावती

Smt KIRAN TIWARI
Notary / Advocate,
RAIPUR, (C.G.) INDIA

चेयरमेन सुरक्षित भव फाउंडेशन

कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग)

विकास भवन नेहरू चौक के पास, बिलासपुर
फोन नं. 07752.222642 ए फेक्स नं.07752.413888

ई-esy-commissionerbilaspur@yahoo.com वेबसाइट-www.bmebilaspur.com

—: अनुमति पत्रक/अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

क. 2014 / न.पा.नि. / वि.वि. / 2014-15

बिलासपुर, दिनांक 12/2/2015

प्रति,

कार्यापालन संचालक
आइडियल पब्लिक सेफटी एण्ड
वेलफेयर सोसायटी
रायपुर (छ.ग.)



ISO-9001:2015 CERTIFIED

विषय :- पी.पी.पी तर्ज पर बिलासपुर शहर में जिंगल एवं स्पीक्स द्वारा जन जागरूगता अभियान हेतु अनुमति/अनापत्ति बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक आई. पी.एस. एण्ड डब्लु एस./003 दिनांक 25/01/2015

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा शहर के मध्य चौक/चौराहों पर जन जागरण अभियान एवं यातायात नियमों से संबंधित जिंगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई हैं उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सेफटी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपुर e/o बीयांड रीच के साथ अनुबंध क्र. 8 दिनांक 11/02/2015 संपादित किया गया है।

अनुबंध अनुसार उपरोक्त संस्था को नगर निगम एवं यातायात व्यवस्था से संबंधित जिंगल जनहित में प्रसारित करने के साथ -2 विज्ञापन प्रसारण हेतु 10 वर्षों के लिए प्रथम चरण में पांच (5) चौक-चौराहों पर वाटर प्रूफ स्पीकर द्वारा जिंगल बजाने की अनुमति/अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती हैं कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। तथा किसी भी प्रकार से माननीय उच्च न्यायलय के दिशा निर्देशों का उलघ्न न हों।

चौराहों की सूची :-

- 01 नेहरू चौक 02 अग्रसेन चौक 03 कोतवाली चौक
04 मंगला चौक 04 सत्यम चौक



ISO-9001:2015 CERTIFIED



Handwritten signature and stamp.